राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक: प. 3(71) आयो–1/सांख्यिकी/13 जयपुर, दिनांकः– 31 MAR 2015

–: आज्ञा :–

राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के श्री मूलचंद, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी(सांख्यिकी अधिकारी), पंचायत समिति – नीम का थाना, ने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2015 के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है। श्री मूलचंद की जन्मतिथि 15.08.1957 है एवं इनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि 31.08.1984 है। इन्होंने राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन नियम, 1996 के अन्तर्गत 30 वर्ष से अधिक की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है।

अतः राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(3) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस अवधि तीन माह से कम होने की स्थिति में श्री मूलचंद, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति – नीम का थाना को राज्य सरकार द्वारा दिया गया किसी प्रकार का ऋण शेष नहीं होने की शर्त पर दिनांक 31.03.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत किया जाता है।

कार्मिक (क–3) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मूलचंद के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच/शिकायत/एफआईआर विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से

(सुभाष गुप्ता)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा/सम्पदा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, सीकर।
6. सहायक निदेशक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीकर राजस्थान।
7. कोषाधिकारी, सीकर।
8. श्री मूलचंद, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति – नीम का थाना, राजस्थान
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, आयोजना विभाग।
10. पेंशन प्रकरण पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव